Centre for CIVIL SOCIETY
SOCIAL CHANGE THROUGH PUBLIC POLICY

माल की अनुचित ज़ब्ती के खिलाफ शिकायत कैसे करे?

माल की अनुचित ज़ब्ती के खिलाफ शिकायत

(थाना प्रभारी/नगर निगम के आयुक्त का नाम)
_____

थाना प्रभारी/नगर निगम का आयुक्त

(पुलिस स्टेशन/ज़ोन/नगर निगम (दक्षिणी/उत्तरी/ अन्य का नाम)
_____

(पुलिस स्टेशन/नगर निगम का पता)
_____

दिल्ली: (पिन कोड)_____

तारीख: शिकायत दायर करने की तारीख_____

विषय: (विक्रय की जगह)_____ ज़ोन में माल की अनुचित ज़ब्ती के खिलाफ शिकायत

आदरणीय श्री/श्रीमती (थाना प्रभारी/नगर निगम आयुक्त का नाम)_____

मैं (विक्रय की जगह और ज़ोन)_____ ज़ोन में (पीड़ित विक्रेता/विक्रेताओं के नाम)_____ विक्रेता के माल की अनुचित ज़ब्ती पर आपका ध्यान दिलाने के लिए आपको लिख रहा हूं।

_____
_____
_____

नीचे दी गयी लाइन में कृपया सामानों की उस अनुचित जब्ती से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों का उल्लेख करें जिसके खिलाफ शिकायत की गयी है। इससे प्रभावित हुए विक्रेताओं के नाम और संख्या का उल्लेख करें (अगर विक्रेताओं की सूची लंबी है तो उन्हें सामूहिक रूप से पीड़ित विक्रेता कहा जा सकता है। इस तरह के सभी प्रभावित विक्रेताओं की सूची शिकायत के साथ संलग्नक के तौर पर शामिल की जाएगी।)

मैं आपसे इस संबंध में निम्नलिखित चीजों पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूँ:

1. पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 04 मार्च, 2014 को भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और 01 मई, 2014 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था; यह शहरी पथ विक्रेताओं के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है।

(वह तारीख जब से विक्रेता इस खास जगह पर विक्रय करता आ रहा है)

2. पीड़ित विक्रेता अपने निर्दिष्ट स्थान पर _____ से विक्रय करते आ रहे हैं जो कि अधिनियम के बनने से काफी पहले से है, (अनुबंध के अनुरूप संलग्नक _____ के तौर पर लगाया गया तारीख __.__.___ की रसीद/चालान)। (संलग्नक संख्या)
3. अधिनियम की धारा 19 के अनुसार,

"19. माल की जब्ती और उन्हें वापस हासिल करना-

(1) अगर फुटकर विक्रेता, धारा 18 की उपधारा (3) के तहत दिए गए नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के खत्म होने के बाद, विक्रय प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट जगह को खाली नहीं करता है तो स्थानीय प्राधिकरण, धारा 18 के तहत फुटकर विक्रेता को बेदखल करने के अलावा, जरूरी हुआ तो, योजना में निर्दिष्ट तरीके से उसके माल को ज़ब्त कर सकता है: इसके लिए जरूरी है कि जहां भी इस तरह की जब्ती की जाए, जब्त माल की एक सूची बनायी जाएगी, जैसा कि योजना में निर्दिष्ट है, और सामान की ज़ब्ती के लिए अधिकृत किए गए व्यक्ति द्वारा फुटकर विक्रेता को विधिवत हस्ताक्षरित एक प्रति जारी की जाएगी।"

*(*जोर दिया जाता है*)*

इसका मतलब यह है कि माल की ज़ब्ती उसी सूरत में की जा सकती है जब विक्रेता बेदखली अथवा स्थानांतरण के आदेश का पालन करने में असफल रहता है। इस मामले में पीड़ित विक्रेता / विक्रेताओं को बेदखली या स्थानांतरण का कोई नोटिस नहीं मिला है और इसलिए ज़ब्ती अवैध है।

4. अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, विक्रेताओं के माल को तब तक जब्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि उन्हें बेदखली या स्थानांतरण से पहले 30 दिनों की नोटिस अवधि नहीं दी जाती है। हालांकि, इस मामले में पीड़ित विक्रेता/विक्रेताओं को 30 दिन की अवधि का कोई नोटिस नहीं दिया गया था और इसलिए ज़ब्ती अवैध है।

5. अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, विक्रेता को अधिकृत व्यक्ति द्वारा जब्त किए गए माल की सूची की एक विधिवत हस्ताक्षरित प्रति प्रदान की जानी चाहिए। हालांकि, पीड़ित विक्रेता/विक्रेताओं को ऐसा कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ है और इसलिए ज़ब्ती अवैध है।

6. ज़ब्ती अवैध है और इसलिए अधिनियम की धारा 27 के अनुसार यह उत्पीड़न है।

"27. पुलिस और अन्य प्राधिकरणों द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न की रोकथाम-

उस समय लागू किसी भी दूसरे कानून में चाहे कुछ भी क्यों न हो, अपने प्रमाणपत्र के नियमों और शर्तों के अनुसार पथ विक्रय की गतिविधियों में लगे किसी भी पथ विक्रेता को कोई

भी व्यक्ति या पुलिस या उस समय लागू कानून के तहत अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा कोई भी दूसरा प्राधिकरण इस तरह के अधिकारों का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता।"

(जोर दिया जाता है)

7. यह कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव (अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न 20.07.2020 के एक पत्र में) द्वारा जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि,

" पथ विक्रेता अधिनियम, 2014 पथ विक्रेताओं को शहर स्तर पर उनके मामलों के प्रशासन में भाग लेने के लिए सशक्त बनाने का प्रयास करता है। यह अधिनियम सड़क विक्रेताओं की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण करने और उन्हें विक्रय प्रमाण पत्र/पहचान पत्र जारी करने का निर्देश देता है। हालांकि, अधिनियम का नेक उद्देश्य नगरपालिका और पुलिस अधिकारियों की कार्रवाईयों से बार-बार प्रभावित होता है क्योंकि विक्रेताओं को लगातार शारीरिक और वित्तीय दोनों तरह के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जो राज्य/केंद्रशासित क्षेत्रों के जरिए प्रभाव में आने वाले केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों और भावना के खिलाफ है। अधिनियम की भावना और प्रावधानों के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत की भावना को देखते हुए, मैं आपसे सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को जागरुक करने का विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा ताकि पथ विक्रेताओं को किसी भी तरह के उत्पीड़न और बेदखली का सामना न करना पड़े, जब तक कि कानून द्वारा ऐसा अनिवार्य न हो। इसके अलावा, उन्हें सलाह दी जा सकती है कि यदि पुलिस कर्मी इस आदेश का उल्लंघन करते हैं, तो पथ विक्रेताओं के उत्पीड़न को रोकने के उद्देश्य से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की जा सकती है।"

(जोर दिया जाता है)

8. पीड़ित विक्रेता/विक्रेताओं को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है क्योंकि उन्हें बिना किसी वाज़िब कारण के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा व्यवधान का सामना करना पड़ता है।

9. पीड़ित विक्रेता/विक्रेताओं के माल की अनावश्यक ज़ब्ती से उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मिले कोई भी पेशा करने, या किसी व्यवसाय, व्यापार को चलाने और अपनी आजीविका अर्जित करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत उन्हें मिले समानता के अधिकार का भी उल्लंघन है।

Centre for CIVIL SOCIETY
SOCIAL CHANGE THROUGH PUBLIC POLICY

10. उपरोक्त चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मैं आपसे इस शिकायत पर विधिवत संज्ञान लेने और सात दिनों के भीतर निम्नलिखित कदम उठाने का अनुरोध करता हूं:

क. संबंधित अधिकारियों को माल की अनुचित ज़ब्ती का यह तरीका तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दें।

ख. सुनिश्चित करें कि पीड़ित विक्रेताओं/विक्रेताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए।

ग. दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करें; और

घ. पीड़ित विक्रेता/विक्रेताओं के मौलिक और कानूनी अधिकारों को बहाल करने के लिए कोई भी ज़रूरी कार्रवाई करना; ऐसा न होने पर विक्रेता/विक्रेताओं को अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में उचित कानूनी उपायों का सहारा लेने सहित अदालती कार्रवाई शुरू के लिए विवश होना पड़ेगा।

भवदीय,

(शिकायतकर्ता का हस्ताक्षर)

(शिकायतकर्ता का नाम)

(शिकायतकर्ता का पता)

(शिकायतकर्ता का ईमेल / फ़ोन नंबर)

कॉपी:

1. श्री अनिल बैजल, उपराज्यपाल, 6, राज निवास मार्ग, लुडलो कैसल, सिविल लाइन्स, नई दिल्ली, दिल्ली- **110054**
2. श्री सत्येन्द्र जैन, मंत्री, शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली - **110002**
3. पुलिस आयुक्त, दिल्ली, जय सिंह मार्ग, नई दिल्ली **-110 001**
4. श्री विपिन कुमार गर्ग, उप सचिव, पुलिस शिकायत प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, **10** वीं मंजिल, चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली - **110001**
5. आयुक्त का नाम, आयुक्त, उत्तरी दिल्ली/दक्षिणी दिल्ली/पूर्वी दिल्ली नगर निगम, **[**नगर निगम का पता**]**

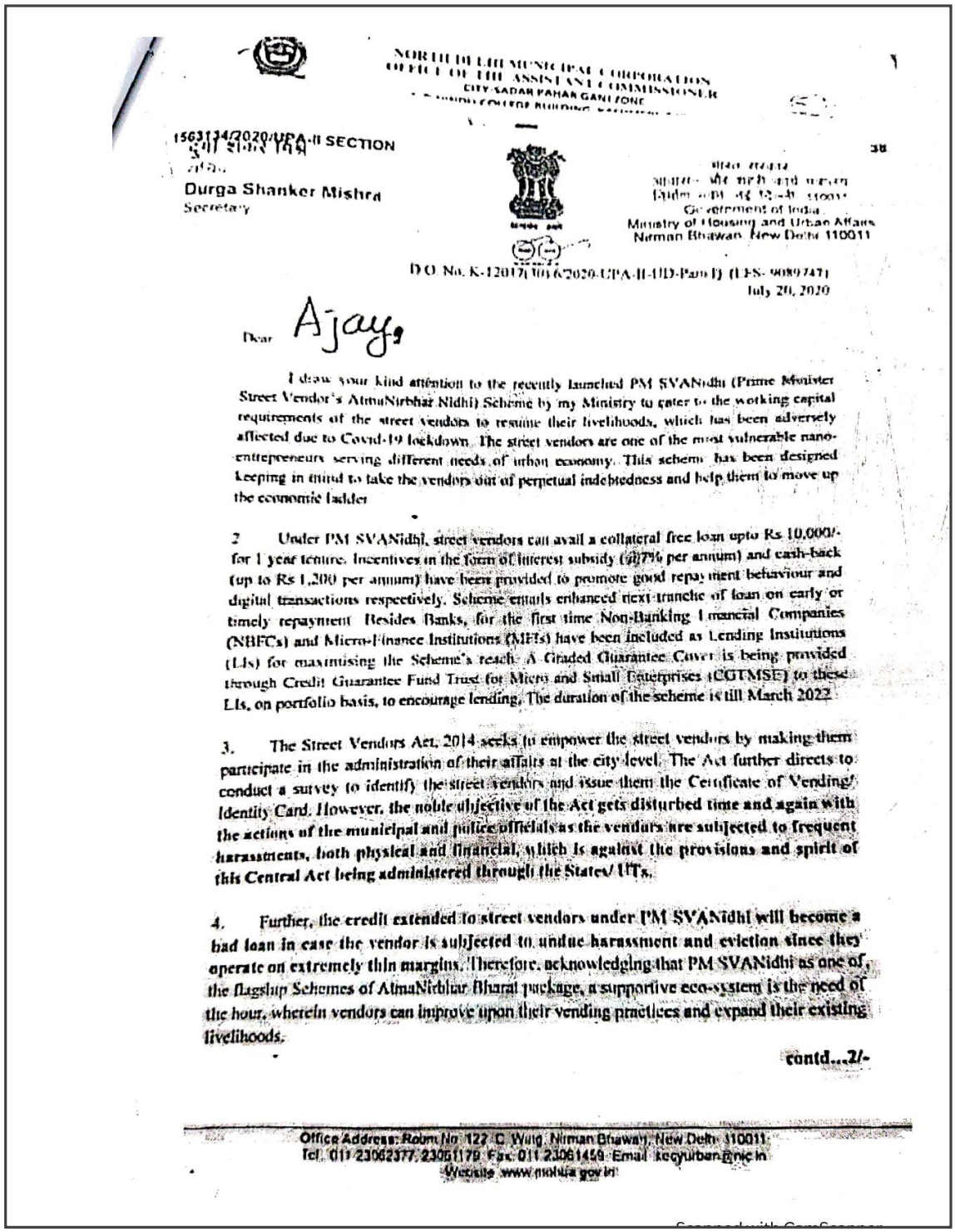

NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION
OFFICE OF THE ASSISTANT COMMISSIONER
CITY SADAR PAHAR GANJ ZONE

1563134/2020/UPA-II SECTION

38

Durga Shanker Mishra
Secretary

Government of India
Ministry of Housing and Urban Affairs
Nirman Bhawan, New Delhi 110011

D.O. No. K-12017(10)/6/2020-UPA-II-UD-Part (I) (EFS- 9089747)
July 20, 2020

Dear Ajay,

I draw your kind attention to the recently launched PM SVANidhi (Prime Minister Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi) Scheme by my Ministry to cater to the working capital requirements of the street vendors to resume their livelihoods, which has been adversely affected due to Covid-19 lockdown. The street vendors are one of the most vulnerable nano-entrepreneurs serving different needs of urban economy. This scheme has been designed keeping in mind to take the vendors out of perpetual indebtedness and help them to move up the economic ladder.

2. Under PM SVANidhi, street vendors can avail a collateral free loan upto Rs 10,000/- for 1 year tenure. Incentives in the form of interest subsidy (@7% per annum) and cash-back (up to Rs 1,200 per annum) have been provided to promote good repayment behaviour and digital transactions respectively. Scheme entails enhanced next tranche of loan on early or timely repayment. Besides Banks, for the first time Non-Banking Financial Companies (NBFCs) and Micro-Finance Institutions (MFIs) have been included as Lending Institutions (LIs) for maximising the Scheme's reach. A Graded Guarantee Cover is being provided through Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) to these LIs, on portfolio basis, to encourage lending. The duration of the scheme is till March 2022.

3. The Street Vendors Act, 2014 seeks to empower the street vendors by making them participate in the administration of their affairs at the city level. The Act further directs to conduct a survey to identify the street vendors and issue them the Certificate of Vending/ Identity Card. However, the noble objective of the Act gets disturbed time and again with the actions of the municipal and police officials as the vendors are subjected to frequent harassments, both physical and financial, which is against the provisions and spirit of this Central Act being administered through the States/ UTs.

4. Further, the credit extended to street vendors under PM SVANidhi will become a bad loan in case the vendor is subjected to undue harassment and eviction since they operate on extremely thin margins. Therefore, acknowledging that PM SVANidhi as one of the flagship Schemes of AtmaNirbhar Bharat package, a supportive eco-system is the need of the hour, wherein vendors can improve upon their vending practices and expand their existing livelihoods.

contd...2/-

Office Address: Room No. 122, C Wing, Nirman Bhawan, New Delhi 110011
Tel. 011 23062377, 23061179 Fax 011 23061459 Email secyurban@nic.in
Website www.mohua.gov.in

134/2020/UPA-II SECTION

-2-

5. In view of the spirit & provisions of the Street Vendors Act, 2014 as well as that of AtmaNirbhar Bharat, I would urge you to kindly sensitize all the State DGPs that the street vendors and particularly the beneficiaries of PM SVANidhi Scheme are not subjected to any kind of harassment and eviction, unless mandated by law. Further, they may be advised that if any police personnel violates this mandate, a strict action may be initiated against them to discourage harassment of Street Vendors

Regards,

Yours Sincerely,

(Durga Shanker Mishra)

Shri Ajay Kumar Bhalla
Home Secretary,
Ministry of Home Affairs
North Block,
New Delhi.